



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/087

दिनांक : 23.04.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी स्क्रिप्स के जारी करने/पुनः जारी करने/वैधता बढ़ाने के संबंध में निर्देश - पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी मॉड्यूल का सक्रियण ।

संदर्भ: डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या 02/2026-27 दिनांक 21 ^{अप्रैल} 2026

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि उपरोक्त परिपत्र निर्यात के बाद जारी किए जाने वाले ईपीसीजी स्क्रिप्स के जारी करने/पुनः जारी करने/वैधता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल को सक्रिय करने के संबंध में जारी किया गया है।

इस संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे डीजीएफटी पोर्टल पर तैनात किया गया है। यह मॉड्यूल डीजीएफटी और आईसीगेट के बीच डेटा के निर्बाध आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे निर्यातकों द्वारा इसके उपयोग में आसानी होती है।

ऑनलाइन मॉड्यूल को निम्नलिखित परिदृश्यों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

1. सिस्टम में निर्यात के बाद की ईपीसीजी प्राधिकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।

आवेदक सहायक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया बंद करने के लिए आवेदन करता है।

- आरए की मंजूरी मिलने पर, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप जनरेट की जाती है और आईसीगेट को भेजी जाती है।

2. निर्यात के बाद ईपीसीजी प्राधिकरण बंद करने का आवेदन ऑनलाइन जमा किया गया था, और अनुमोदन के बाद, स्क्रिप ऑनलाइन जनरेट की गई थी। हालांकि, स्क्रिप या तो वैध है और इसे ICEGATE को प्रेषित नहीं किया गया है, या, ऐसे प्रेषण के लंबित रहने के कारण इसकी वैधता समाप्त हो गई है।

आवेदक डीजीएफटी पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा अनुरोध टिकट दर्ज करेगा, जिसमें निर्यात के बाद जारी किए जाने वाले ईपीसीजी स्क्रिप का विवरण दिया जाएगा, जिसे पुनः मान्य/पुनः प्रेषित किया जाना आवश्यक है। फाइल के विधिवत स्वीकृत होने पर, मौजूदा स्क्रिप नई समाप्ति तिथि के साथ आईसीगेट को प्रेषित कर दी जाएगी।

3. निर्यात के बाद EPCG प्राधिकरण बंद कर दिया गया है, लेकिन या तो कोई स्क्रिप जनरेट नहीं हुई है या मैनुअल स्क्रिप जनरेट की गई है।

- आवेदक समापन विवरण, मैनुअल स्क्रिप स्थिति और सहायक दस्तावेजों के साथ एक सेवा अनुरोध टिकट उठाता है।
- आरए की मंजूरी मिलने पर, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप (पूरी/आंशिक राशि) उत्पन्न होती है और ICEGATE को भेजी जाती है।

प्रसंस्करण या प्रसारण के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी परिचालन संबंधी समस्या या प्रणाली संबंधी कठिनाइयों को आवश्यक समाधान के लिए तत्काल नीति प्रकोष्ठ-5/ईजी एंड टीएफ, डीजीएफटी (मुख्यालय) के ध्यान में लाया जा सकता है।

सदस्य विस्तृत परिपत्र यहां देख सकते हैं:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202604220226_06.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे
उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)
प्लेक्सकॉन्सिल

